



DATE: 22.12.2020

IMPORTANT INFORMATION

“Positive Pay System will be effective from 01.01.2021 for CTS clearing cheques as per RBI guidelines for cheques of Rs.50000/- and above. Availing this facility is optional on the part of the customer. Customer to submit date, amount, cheque no and payee name etc to drawee bank before presentation of cheque in clearing. Contact branch for further details.”

.....

“भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार रुपये 50000/- और उससे अधिक राशि के चेक के सीटीएस समाशोधन के लिए दिनांक 01.01.2021 से सकारात्मक भुगतान प्रणाली प्रभावी होगी। इस सुविधा का लाभ उठाना ग्राहक के लिए वैकल्पिक है। ग्राहक द्वारा समाशोधन में चेक की प्रस्तुति से पहले दिनांक, राशि, चेक नं और आदाता (पानेवाला) का नाम इत्यादि अदाकर्ता बैंक को प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए शाखा से संपर्क करें।“